जिला श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

GCMS No. 2022/54
प्रकरण संख्या : 349 / 2022 दायरा दिनांक : 07 / 12 / 2022

अनवान् :–

रामलाल पुत्र श्री बालदास जाति बैरागी निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– प्रार्थी

ब ना म्

1. विजय सिंह पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री लेखराज सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 2, सोनाखर तहसील कामां जिला भरतपुर, राजस्थान।
3. दुर्गेश कुमार जोशी पुत्र श्री बदरुराम जाति ब्राह्मण निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–212

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार – अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा व श्री प्रदीप कुमार – अभिभाषकगण अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. पैरोकार राज।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 29.05.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी रामलाल के द्वारा अपना उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की संयुक्त खाता संख्या 170 / 145 की खसरा संख्या 671 / 134 में 6.413 है0 में से प्रार्थी का 4046 / 6413 हिस्सा यानि 4.046 है0 भूमि व प्रतिवादी / अप्रार्थी सं. 1 का 2367 / 6413 हिस्सा यानि 2.3304 है0 भूमि अंकित है। जिसका कब्जा काश्त प्रार्थी का हिस्सानुसार चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की हुई है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने 2367 / 6413 हिस्सा यानि 2.3304 है0 हिस्सा भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 2 व 3 को जरिये बैयनामा दिनांक 21.11.2022 के द्वारा किया जा चुका है। प्रार्थी के द्वारा अपने हिस्से के रकबा को सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने नाम से अंकित भूमि बैयनामा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 को बेचान कर दिये जाने के पश्चात बैयनामा की आड़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरदस्ती वादी / प्रार्थी की इच्छा के विरूद्ध दखलअंदाजी कर अपने हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने पर उतारु है। अगर अप्रार्थीगण, प्रार्थी की इच्छा के विरूद्ध अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के जीवन यापन का सहारा है। प्रार्थी को दिनांक 23.11.2022 को उसके खेत में आकर एलानिया धमकी दी गई है कि हम तुम्हारे काश्त रकबा में जबरन घुसकर तुम्हें बेदखल करेंगे। इसलिये अप्रार्थी सं. 2 व 3 को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ की खाता सं. 170 / 145 के खसरा नं. 671 / 134 की 6.413 है0 भूमि पर प्रार्थी के दखलअंदाजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे और मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किये जाने और प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर एकतरफा स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुये दिनांक 07.12.2022 को अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बछरारा की खसरा संख्या 671 / 134

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:36:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की 6.413 है0 भूमि पर ना तो स्वयं दखलअंदाजी करने व ना ही किसी अन्य से कराने तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश द्वारा पाबन्द किये जाने और अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये।

अप्रार्थी सं. 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये और अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा अपना जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाते हुये अपना स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। रोही बछरारा के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 की संयुक्त खाता सं. 170 नई 145 पुरानी में खसरा संख्या 671/134 की 6.413 है0 बारानी दोयम खातेदारी कृषि भूमि में 2367/6413 हिस्सा यानि 2.367 है0 के अंकित हिस्सेदार खातेदार के द्वारा पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 21.11.2022 को अपनी भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 को बेचान कर मौका पर भौतिक रुप से कब्जा उक्त अनवान का वाद–पत्र व स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश करने से पूर्व का विक्रेता अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थी की सहमति से सौंपा हुआ है। इस भूमि पर लगातार कब्जा अप्रार्थी सं. 2 व 3 का शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण द्वारा अंकन में व्यवधान उत्पन्न करने की गर्ज से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। जमाबन्दी में अंकित खाता की कुल कृषि भूमि एक ही किस्म की है और मौका पर भी एक जैसी है। प्रार्थी स्वयं बदयन्त है जो स्थगन की आड़ में अप्रार्थी सं. 2 व 3 को मौका पर से जबरन बेदखल कर समस्त भूमि पर काबिज होना चाहता है। जबकि पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा विक्रेता से प्राप्त कब्जा को अप्रार्थी बनाये रखने के कानूनी रुप से अधिकारी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अपने इस स्थगन प्रार्थना–पत्र में माननीय न्यायालय से चाहा गया है जो कि वाद–पत्र में बाद सुनवाई ही प्रदान किया जा सकता है ना कि स्थगन प्रार्थना–पत्र के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का न होकर अप्रार्थीगण का बनता है और सुविधा व सन्तुलन का पक्ष भी प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी ने एकतरफा स्थगन प्राप्त कर उनके नाम से रिकार्ड में नामान्तरकरण द्वारा अंकन होने से रोक रखा है जिससे अप्रार्थीगण को क्षति कारित हो रही है। इसलिये प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में जारी एकतरफा स्थगन आदेश को निरस्त करते हुये स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत ना कर बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर उसे स्वीकार करते हुये बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के द्वारा अपने स्थगन प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बछरारा के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की संयुक्त खाता सं. 170/145 की खसरा नं. 671/134 की कुल 6.413 है0 बारानी दोयम खातेदारी कृषि भूमि में 4.046 है0 प्रार्थी के और 2.367 है0 अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अंकित है। जिसमें प्रार्थी और अप्रार्थी अपने अपने हिस्सानुसार काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 2 व 3 को बैयनामा द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में खाता की कुल 6.413 है0 भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कब्जा नहीं है। ये बैयनामा के आधार पर भूमि में घुसना चाहते है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को ता–फैसला वाद–पत्र तक स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना–पत्र की मद सं. 2 में स्वीकार करके आया है कि ग्राम बछरारा के राजस्व रिकार्ड की संयुक्त खाता सं. 170/145 की खसरा सं. 671/134 की कुल 6.413 है0 नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि में [illegible] हिस्सा भूमि का ही वह स्वयं और 2.367 है0 का अप्रार्थी सं. 1 अंकित खातेदार है। इस प्रकार हिस्सानुसार ही प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने हिस्सा की 2.367 है0 का बेचान पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 21.11.2022 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को करके मौके पर कब्जा उसी रोज प्रार्थी सहखातेदार की सहमति व रजामन्दी से अप्रार्थी सं. 2 व 3 को उक्त अनवान का वाद–पत्र व स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश करने से पूर्व का सौंपा हुआ है। जिस पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। जिसका मौका अदालत स्वयं देख सकती है या चाहे तो कमिश्नर नियुक्त कर कब्जा की रिपोर्ट भी मंगवा सकती है। प्रार्थी के द्वारा असत्य कथन अंकित कर और झूठा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

शपथ–पत्र पेशकर अपने हिस्सा से अधिक सम्पूर्ण खाता की भूमि पर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जिससे अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण तस्दीक ना हो सके। प्रार्थी स्वंय बदयन्त है जो कि स्थगन की आड़ में जबरन हम अप्रार्थीगण को मौका पर से बेदखल करना चाहता है। जो कि कतई न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामा द्वारा कब्जा सौंपे जाने के आधार पर मौका पर अपना कब्जा बनाये रखने और इसका उपयोग व उपभोग करने के विधिक रूप से अधिकारी है। प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा अपने वाद पत्र की अनुतोष की मद सं. (क) में डिक्री जारी कर चिरस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 2 व 3 को पाबन्द किया जावे कि वो वादी के नाम से संयुक्त खाते की कृषि भूमि ग्राम बछरारा के खाता नं. 170/145 के खसरा नं. 671/134 में 6.413 है0 भूमि पर किसी तरह की दखलान्दाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावे।" का अन्तिम अनुतोष चाहा गया है और यही अनुतोष अपने इस स्थगन प्रार्थना पत्र में भी अन्तरिम के रूप में चाहा गया है कि "अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खाता नं. 170/145 के खसरा नं. 671/134 को 6.413 है0 भूमि पर ना तो स्वयं दखलअंदाजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।" का चाहा गया है। नियमानुसार वाद पत्र में बाद सुनवाई प्रदान किया जाने वाला अन्तिम अनुतोष इस स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अन्तरिम अनुतोष के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी के वकील द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RRD 2001 P. No. 251 राजस्व मण्डल, अजमेर अनवान बालु व अन्य बनाम राज0 राज्य, RRD 2003 P. No. 310 राजस्व मंडल, अजमेर अनवान जानकीलाल व अन्य बनाम प्रवीण कुमार, WLC 2000 (U.C.) P. No. 47 (राज0 उच्च न्यायालय) पर प्रकाशित व दिनांक 11.05.2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनवान लीलाधर गेरा व अन्य बनाम स्पेशल जज SC, ST Act / ADJ व DNJ 2022(2) पेज नं. 856 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण अनवान् सुरेश शर्मा बनाम् धनवन्ती शर्मा में पारित न्याय निर्णय की नजीरे पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.12.2022 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश व स्थगन प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें। पैरोकार राज के द्वारा राज्यहित को सुरक्षित रखते हुये आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व पैरोकार राज की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन और प्रस्तुत न्याय निर्णयों का पठन किया गया। ग्राम बछरारा तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 की संयुक्त खाता सं. 170/145 की खसरा सं. 671/134 में कुल 6.413 है0 बारानी दोयम खातेदारी कृषि भूमि में 4.046 है0 प्रार्थी और 2.367 है0 अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अंकित है। प्रार्थी स्वयं अपने स्थगन प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में अपना कब्जा काश्त अपने हिस्सानुसार 4.046 है0 पर चले आना अंकित किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने 2.367 है0 हिस्सा की भूमि का बेचान पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 21.11.2022 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को उक्त अनवान का वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व का किया हुआ है जिसके अनुसार अंकित खातेदार विक्रेता द्वारा क्रेतागण को मौका पर कब्जा सौपा जाना अंकित किया हुआ है। स्वयं अप्रार्थी सं. 2 व 3 अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में मौका पर कब्जा शान्तिपूर्वक खरीद की दिनांक से चले आना स्वीकार किया गया है। प्रार्थी एक तरफ तो अपने हिस्सा की भूमि पर ही काबिज होना अंकित किया जा रहा है और बहस में सम्पूर्ण खाता की भूमि पर अपना कब्जा बताया जा रहा है। जो प्रार्थी का अपने हिस्सा से अधिक भूमि पर बिना किसी साक्ष्य के कब्जा कैसे माना जा सकता है। क्योंकि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा शपथ पूर्वक अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन अंकित किये गये है कि उनके द्वारा विक्रेता/अप्रार्थी सं. 1 से कब्जा प्रार्थी की सहमति व रजामन्दी से मौका पर प्राप्त किया गया है। जिसका खण्डन किसी भी प्रकार से प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है अप्रार्थी सं. 2 व 3 सदभावी क्रेता है। जिन्हे अपने हिस्सा की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण रूप से विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने सहीं तथ्य छिपाते हुये संयुक्त खाता की समस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं और अपने आदमियों के सहयोग से किसी भी प्रकार से मेंदालखत बेजा ना किये जाने एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 07.12.2022 का प्राप्त किया हुआ है। स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को प्रथम दृष्टया मामला साबित करना होता है। जबकि इस प्रकरण में जेरवाद सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी अपना कब्जा

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:22 IST
Reason: SelfAttested

काश्त होना किसी भी प्रकार से साबित करने में सफल नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 सद्भावी क्रेतागण है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RRD 2001 P. No. 251 अनवान बालू व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व RRD 2003 P. No. 310 अनवान जानकीलाल व अन्य बनाम प्रवीण कुमार इस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते है। प्रार्थी के द्वारा सही तथ्य छिपाते हुये स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के नामान्तरकरण को रूकवाने की गर्ज से ही प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है। यदि इनके नाम से नामान्तरकरण अंकित हो जाता तो स्वयं प्रार्थी को खाता विभाजन करवाने में सुविधा रहती। स्वयं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को उनके कब्जा काश्त की भूमि से स्थगन की आड में बेदखल करने का प्रयास करना और उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान करना प्रतीत होता है। प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में डिक्री द्वारा चाहा गया अन्तिम अनुतोष को इस स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अन्तरिम अनुतोष के रूप में भी चाहा गया है जो कि वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र के पठन से पूर्णतया साबित है। यह नियमानुसार प्रदान नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2011 को अनवान लीलाधर गेरा बनाम स्पेशल जज SC/ST Act / Adj के प्रस्तुत न्यायनिर्णय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि Rejected an application on the principle that final relief cannot be granted by way of interim relief. Hence present writ petition is liable ..... petitioners relief and the interim relief are the same. It is settled in law that final relief can not be granted व DNJ 2022(2) पेज नं. 856 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण अनवान् सुरेश शर्मा बनाम् धनवन्ती शर्मा में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "No final relief can be granted by way of an interim order" इस प्रकरण में पूर्ण रुप से चस्पा होता है। इस प्रकरण में सुविधा एवं संतुलन का पक्ष प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है और अपूर्णनीय क्षति नामान्तरकरण अप्रार्थीगण का ना होने एवं एकतरफा स्थगन की आड़ में अप्रार्थीगण को उनके बैयनामा द्वारा प्राप्त शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जा से बेदखल करने का प्रयास प्रार्थी द्वारा किये जाने से प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी सं. 2 व 3 का होना पाया गया है। न्याय की हमेशा पीड़ित पक्षकार को न्याय प्रदान करने की मंशा रही है ना कि तकनीकी कानूनी खामियों के आधार पर किसी पीड़ित पक्षकार को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने की। इस प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला दस्तावेजी व विधिक रुप से साबित करने में असमर्थ रहने के कारण प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी के उक्त अनवान के इस स्थगन प्रार्थना–पत्र में दिनांक 07.12.2022 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश को निरस्त करते हुये प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.29 18:56:22 IST
Reason: SelfAttested